सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

E-Mail

तार : "महासर्वेक्षक"
Telegram : "SURVEYS"
फैक्स व दूरभाष : 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone : 0091-135-2744064
E-Mail/ई-मेल : sgo.vigil.soi@gov.in

महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
डाक बक्स सं0 37 POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड), भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND) INDIA

सं0 विज-492/1115-सैक्सुअल ह्रासमैन्ट(संग्रह-5) दिनांक : 25 जनवरी, 2019

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद/विशिष्ट क्षेत्र देहरादून/दक्षिणी क्षेत्र बैंगलौर/ /पश्चिमी क्षेत्र जयपुर/पूर्वी क्षेत्र कोलकाता/उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़/मध्य क्षेत्र जबलपुर/पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलॉंग/प्रिंटिंग क्षेत्र

निदेशक: उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/जम्मू व कश्मीर भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/असम व नागालैण्ड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मेघालय व अरूणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/त्रिपुरा, मणीपुर व मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल व सिकिम्म भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/झारखंड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/गुजरात, दमन व दिव भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/कर्नाटक भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/तमिलनाडु, पांडिचेरी व अंडमान, निकोबार द्वीप समूह भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/केरल व लक्षद्वीप भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण (हवाई) और दिल्ली भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ज्यो0 एवं अनु0शाखा/राष्ट्रीय आँकड़ा केन्द्र/भौगोलिक सूचना पद्वति और सुदूर संवेदन निदेशालय/महा0 एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/राजस्थान, भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/आन्ध्र प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/एन0एस0डी0आई0/एम0ए0एण्ड डी0सी0/उत्तरी मुद्रण वर्ग/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/पश्चिमी मुद्रण वर्ग

SUB.: Formation of the Internal Complaints Committee under the provisions of Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act., 2013 – Reg.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जोन/केन्द्रो से प्राप्त विषयक मामले के पत्राचार के अवलोकन से प्राय: ऐसा पाया गया है कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद सैक्सुअल हासमैन्ट शिकायतों के निस्तारण करने हेतु गठित समितियों का गठन Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act., 2013 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार नहीं हो रहा हैं । कई बार इस समिति हेतु एक सदस्य जोकि एक्ट के नियम 4 (2)(सी) में उल्लेखित है, नामित नही किये जाते ।

2. अत: प्रत्येक जोन/निदेशालयों से अनुरोध है कि यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करलें कि उनके क्षेत्राधिकार हेतु गठित समिति उपरोक्त एक्ट के नियम 4 (2) के अनुसार हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है । उपरोक्त एक्ट के सम्बन्धित पैरा को आपके अवलोकन एवं मार्गदर्शन हेतु Reproduce किया जा रहा है :-

"(a) A Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the employees.

Cont'd...P/2

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section (1) of the Section 4 of the aforesaid Act.

Provided further that in case the other offices or administrative units or the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organisation.

(b) Not less than two members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge.

(c) One member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment.

Provided that at least one-half of the total members so nominated shall be women."

3. अपर महासर्वेक्षक/निदेशकों से यह भी अनुरोध है कि शिकायत समिति की हर स्टेशन पर कम से कम एक त्रेमासिक बैठक होना सुनिश्चित की जाये, चाहे कोई केस न भी हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समिति हर समय कार्यन्वित है ।

25-1-19

(नितिन जोशी)
उपमहासर्वेक्षक एवं
सतर्कता अधिकारी